न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 276/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. कालुराम पुत्र रामाराम
2. चैनाराम पुत्र रामाराम
3. जमनादेवी पुत्री रामाराम
4. जेहाराम पुत्र पोकरराम
5. तोगाराम पुत्र रामाराम
6. धुड़ीदेवी पत्नी रामाराम
7. नैनुदेवी पुत्री रामाराम
8. पेपोंदेवी पुत्री रामाराम
9. मंगलाराम पुत्र पोकरराम
10. मोतीराम पुत्र रामाराम
11. मोहनराम पुत्र रामाराम
12. सताराम पुत्र पोकरराम
13. सायरराम पुत्र पोकरराम

जाति मेगवंशी निवासी क़रडाली , नाडी तहसील सिणधरी

विप्रार्थीगण

1. आदुराम पुत्र किरताराम
2. इसराराम पुत्र किरताराम
3. किसनाराम पुत्र चुतराराम
4. गंगाराम पुत्र जेठाराम
5. चुनाराम पुत्र किरताराम
6. धुड़ाराम पुत्र चुतराराम
7. धोलाराम पुत्र चुतराराम
8. मदाराम पुत्र जेठाराम
9. मिश्राराम पुत्र जेठाराम
10. मोनी पत्नि चुतराराम
11. सुखाराम पुत्र जेठाराम के कायम मुकाम
    11/1 चुनीदेवी पन्ति सुखराम
    11/2 थानाराम पुत्र सुखराम जाति मेगवंशी निवासी करडाली नाडी
12. दुर्गाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी
13. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी
14. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी
15. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, [illegible] 1955

उपस्थिति–

1.श्री विष्णु चौधरी, वकील प्राथीगर्ण की ओर से उपस्थित।

2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से उपस्थित।

3.शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 04.12.2024

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 0.1052 हैक्टर व खसरा नम्बर 25 रकबा 30.7258 हैक्टयर ग्राम करडाली नाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 व 11 के खेत खसरा संख्या 271/21 रकबा 3.3493 हैक्टयर तथा विप्रार्थी सं. 12 के खसरा नम्बर 23/4 रकबा 13.9148 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 12 की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 12 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम करडाली नाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 271/21 व 23/4 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 14 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 0.1052 हैक्टर व खसरा नम्बर 25 रकबा 30.7258 हैक्टयर ग्राम करडाली नाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 12 की खातेदारी ख[illegible] संख्या 271/21 व 23/4 भूमि आये हुए है। विप्रार्थी संख्या 01 [illegible] की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देता है। जिससे प्रार्थीगण को [illegible] जाने में समस्या हो जाती है और बरसात के समय खेत जोत होने के का[illegible] चलनें से रोक–टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

.लदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 व 12 खातेदार को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा करडाली नाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 24,25 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच खेत खसरा संख्या 271/21 व 23/4 में से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 07.12.2023 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 1699/18.06.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा करडाली नाडी की खसरा संख्या 24 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 271/21 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 01 व 14 को न्यायालय से जरियें रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 14 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ से भली जानकार है तथा जानबूझकर प्रकरण में निस्तारण हेतु स्वयं उपस्थित नहीं है अतः प्रार्थीगण की इस्तदुआ से सहमत है। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार रास्ता हेतु खसरा संख्या 271/21 में लम्बाई 120 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.1457 हैक्टयर (0.18 बीघा) का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–240000/– रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के **खातेदारान** को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:56 IST
Reason: SelfAttested

..न है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है ..र उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम करडाली नाडी के खसरा संख्या 271/21 में लम्बाई 120 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.1457 हैक्टयर (0.18 बीघा) की राशि–70000/– का भुगतान विप्रार्थी संख्या 01 व 11 को करते हुए तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ----दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ. /वाद/2024/1699 दिनांक 18.06.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:36 IST
Reason: SelfAttested